Teacher's Manual

Carvaan

व्याकरण

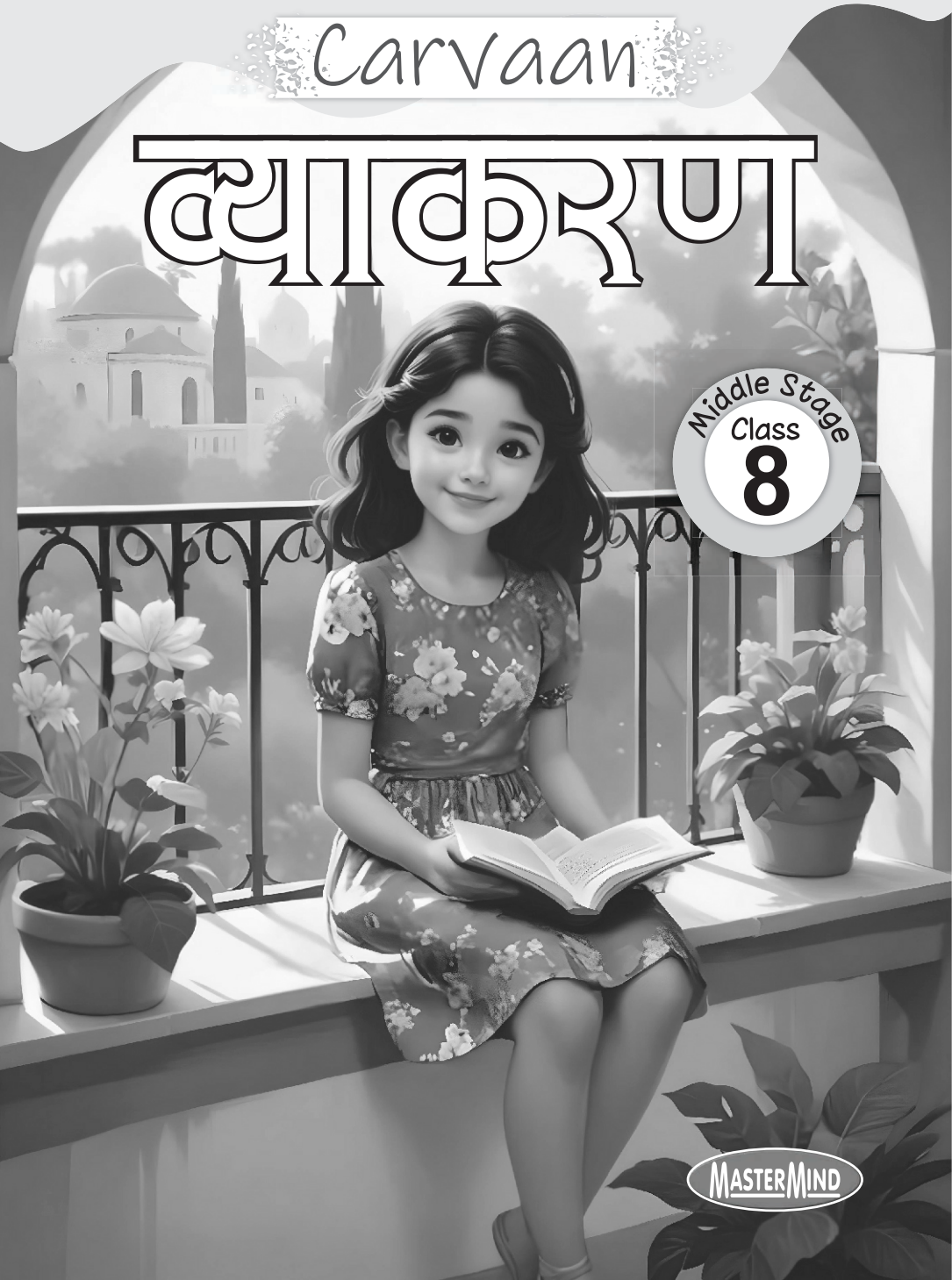

Middle Stage

Class

8

MASTERMIND

Carvaan

व्याकरण भाग-8

अध्याय 1

भाषा, व्याकरण एवं वर्ण विचार

उ०(क) 1. दो प्रकार से।

2. पाँच वर्गों में।

3. तीन 4. तीन 5. तीन

उ०(ख) 1. हम जो कुछ भी किसी अभिप्राय से अपने मुख से कहते अथवा बोलते हैं, वह सब भाषा है। भाषा मन के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं।

2. व्याकरण हमारी भाषा को शुद्ध बनाता है, प्रत्येक भाषा के बोलने तथा लिखने के कुछ नियम होते हैं। इनको ही व्याकरण कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि– 'किसी भाषा की नियमावली को उसकी व्याकरण कहते हैं।'

3. वह ध्वनि जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना स्वत: बोली जा सके, स्वर कहलाती है। इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी में निम्नलिखित ग्यारह स्वर हैं– अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ ओ, औ।

4. **संयुक्त व्यंजन–** दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं; जैसे–

क्ष = क्+ष्+अ (क्षत्रिय) त्र = त्+र्+अ (त्राण)

ज्ञ = ज्+ञ्+अ (ज्ञान) श्र = श्+र्+अ (श्रवण)

उ०(ग) 1. किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को उपभाषा कहते हैं जिसे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता हो। ऐसी बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में पढ़ा-लिखा वर्ग भी उसे प्रयोग में लाने लगता है और उसमें साहित्य का निर्माण होने लगता है। इस स्थिति में यह उपभाषा का रूप लेने लगती है। ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली तथा खड़ी बोली- बोलियाँ हैं, परंतु साहित्य-रचना में स्थान पाने पर ये उपभाषा बन गई हैं।

2. **स्वरों के भेद–** उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के निम्नलिखित भेद हैं– (i) ह्रस्व स्वर (ii) दीर्घ स्वर (iii) प्लुत स्वर।

(i) **ह्रस्व स्वर–** जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय अर्थात् एक मात्रा काल लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या चार है– अ, इ, उ, ऋ।

(ii) **दीर्घ स्वर–** जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या सात है– आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।

(iii) **प्लुत स्वर–** जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत रूप का निर्देश करने के लिए स्वर के आगे '३' का अंक लिखने की परंपरा रही है; जैसे– ओ३म्, परंतु हिंदी में इस प्रकार का प्रचलन नहीं है।

3. **अयोगवाह– 'अं' और 'अः'**

हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी हैं– अं तथा अः। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों में स्थान पाते हैं। स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये

व्यंजन भी नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग न किए जाने के कारण इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इन्हें 'अयोगवाह' कहा जाता है।

उ०(घ)

	अ	**(लिपि)**		**ब**	**(भाषा)**
1.	अरबी	फारसी	7.	रोमन	अंग्रेजी
2.	अंग्रेज़ी	रोमन	8.	फ़ारसी	उर्दू
3.	उर्दू	फारसी	9.	देवनागरी	हिंदी
4.	संस्कृत	देवनागरी	10.	गुरुमुखी	पंजाबी
5.	हिंदी	देवनागरी	11.	देवनागरी	संस्कृत
6.	पंजाबी	गुरुमुखी	12.	फ़ारसी	अरबी

उ०(ङ)

1.	मधू	मधु	7.	चन्दर	चन्द्र
2.	संसारिक	सांसारिक	8.	आग्या	आज्ञा
3.	श्रीमति	श्रीमती	9.	रँग	रंग
4.	खाणा	खाना	10.	ऊंचा	ऊँचा
5.	गुरू	गुरु	11.	पांचवां	पाँचवां
6.	लक्षमी	लक्ष्मी	12.	कालीदास	कालिदास

अध्याय 2

शब्द-विचार

उ०(क) 1. चार 2. पाँच

3. 'तद्' का अर्थ है 'उससे' (संस्कृत से) और 'भव' का अर्थ है 'उत्पन्न हुए', अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द।

4. चार

उ०(ख) 1. **शब्द–** एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं।

2. **पद–** प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण-समूह 'शब्द' कहलाता है, परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है, तब वह स्वतंत्र नहीं रहता, अपितु व्याकरण के नियमों (लिंग, वचन, कारक आदि) में बँध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। इस स्थिति में वह शब्द न रहकर 'पद' बन जाता है।

3. **विदेशी शब्द–** हमारे देश में समय-समय पर विदेशी जातियाँ आती रही हैं। उनकी भाषाओं से बहुत-से शब्द हिंदी में आ गए हैं। ये शब्द विदेशी कहे जाते हैं।

4. **विकारी शब्द–** कुछ शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन को शब्दों में होने वाला विकार भी कहते हैं। यह विकार लिंग, वचन, कारक अथवा पुरुष के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है; जैसे–

(i) लिंग – लड़का पढ़ रहा है। लड़की पढ़ रही है।

(ii) वचन – लड़की खेल रही है। लड़कियाँ खेल रही हैं।

उ०(ग) 1. **सार्थक शब्द–** जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे– फूल, शिक्षक, पेड़ आदि।

निरर्थक शब्द– जिन शब्दों कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे- रोटी-वोटी, चाय-वाय आदि।

भाषा में सार्थक शब्दों का अत्यधिक महत्व है। यद्यपि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, तथापि कभी-कभी निरर्थक शब्द भी जब अपना अर्थ व्यक्त करते हैं, तो ये भी सार्थक बन जाते हैं; जैसे–

मैं तो रोज की खिच-खिच से तंग आ गया हूँ।
कुछ चाय-वाय है क्या?
इन वाक्यों में खिच-खिच से तात्पर्य 'कलह' तथा 'वाय' से तात्पर्य 'आदि, अन्य वस्तुएँ' से है; अत: निरर्थक रूप लेकर भी इनमें भाव की सार्थकता है और ये वाक्य में स्थान पाकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं।

2. **उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण–** कोई शब्द हिंदी भाषा में कहाँ से आया, अथवा उसका स्रोत क्या है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण इस वर्ग के अंतर्गत आता है। इस आधार पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्रोत को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है– (i) तत्सम (ii) तद्भव (iii) देशज (iv) विदेशज (v) संकर।
   (i) तत्सम शब्द– उच्च, पुष्प, राष्ट्र, श्वेत
   (ii) तद्भव शब्द– मोर, हाथ, अँधेरा, घर
   (iii) देशज शब्द– लोटा, खुरपा, पेड़, घोड़ा
   (iv) विदेशज शब्द– कानून, चश्मा, चाय, कूपन
   (v) संकर शब्द– रेलगाड़ी, लाठीचार्ज, टिकटघर, डबलरोटी आदि।

3. (i) **रूढ़ शब्द–** जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनका कोई अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं; जैसे– पैर, घोड़ा, घर, मेज़, नाक आदि। रूढ़ शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते तथा ये शब्द किसी अर्थ विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं।
   (ii) **योगरूढ़ शब्द–** जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों, किंतु जिनसे सामान्य अर्थों का बोध न होकर विशेष अर्थों का बोध हो, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं; जैसे, नीरज– नीर+ज (नीर=जल, ज=उत्पन्न होना) अर्थात् जल में उत्पन्न होने वाला। यह शब्द एक फूल विशेष (कमल का फूल) के लिए रूढ़ हो गया है। जल में उत्पन्न होने वाला हर फूल नीरज नहीं होता, 'नीरज' केवल 'कमल'

के फूल के लिए प्रयोग में जाया जाता है। चारपाई– चार पैरों वाली अर्थात् खाट। चार पैरों वाली प्रत्येक वस्तु चारपाई नहीं है, यह शब्द केवल 'खाट' के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अतः मिलकर बनने व विशेष अर्थ के द्योतक (रूढ़) होने से ये योगरूढ़ कहलाते हैं।

4. **अर्थ के आधार पर वर्गीकरण–** अर्थ के आधार पर शब्दों को प्रमुख चार भेदों में वर्गीकृत किया गया है– (i) एकार्थी, (ii) अनेकार्थी, (iii) पर्यायवाची तथा (iv) विलोम शब्द

(i) **एकार्थी शब्द–** जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं; जैसे– मेज, फ़र्श, रोटी, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, गाय आदि।

(ii) **अनेकार्थी शब्द–** जिन शब्दों का प्रयोग संदर्भों के अनुसार अलग-अलग अर्थ में किया जा सकता है, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं; जैसे–

सोना – धातु विशेष, सोने की क्रिया।
कुल – वंश, परिवार, सब मिलाकर।
पत्र – चिट्ठी, पत्ता, समाचार-पत्र।
बल – शक्ति, टेढ़ापन।

(iii) **पर्यायवाची शब्द–** जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द पूर्णतया समानार्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थगत अंतर रहता है।

(iv) **विलोम शब्द–** एक-दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं; जैसे– धनी-निर्धन, बुराई-भलाई, नर-नारी, मित्र-शत्रु आदि।

उ०(घ)

1.	सत्य	रूढ़
2.	सूर्य	रूढ़
3.	पीतांबर	योगरूढ़
4.	कमल	रूढ़
5.	नीरज	योगरूढ़
6.	जन्मभूमि	यौगिक शब्द
7.	पंकज	योगरूढ़
8.	जलज	योगरूढ़
9.	भोजनालय	यौगिक शब्द
10.	रसोईघर	यौगिक शब्द
11.	मृगनयनी	यौगिक शब्द
12.	नीलकंठ	योगरूढ़

उ०(ङ)

1.	जीभ	जिह्वा
2.	अग्नि	आग
3.	नाच	नृत्य
4.	गधा	गर्दभ
5.	सात	सप्त
6.	रात्रि	रात
7.	मयूर	मोर
8.	सिर	शीर्ष
9.	बिंदू	बिंदी/बूंद

अध्याय 3

शब्द-रचना

उ०(क) 1. चार प्रकार से 2. दो पद

3. समास के चार प्रमुख भेद हैं।

उ०(ख) 1. वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं।

शब्द	**उपसर्ग**	+	**शब्द**	= **निर्मित शब्द**
माता	वि	+	माता	= विमाता
ईमान	बे	+	ईमान	= बेईमान

उपर्युक्त उदाहरणों में उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों का अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार उपसर्ग शब्दों के अर्थ में विशेषता भी उत्पन्न करते हैं; जैसे– सु+योग=सुयोग, सु+यश=सुयश आदि।

2. शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं।

उदाहरण–

शब्द	+ **प्रत्यय**	= **निर्मित शब्द**
बल	+ हीन	= बलहीन
आवश्यक	+ ता	= आवश्यकता
पढ़	+ आई	= पढ़ाई
त्याग	+ ई	= त्यागी

उपर्युक्त शब्दों में प्रत्यय लगने से उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है।

3. **कृत प्रत्यय–** जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु-रूप के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं; जैसे–

पढ़+आई = पढ़ाई, गिर+ना = गिरना, लिख+आई = लिखाई।

कृत प्रत्ययों की सहायता से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं।

उ०(ग) 1. बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में तीन प्रकार के शब्द होते हैं– रूढ़, यौगिक और योगरूढ़।

भाषा में यौगिक शब्दों का निर्माण निरंतर होता रहता है। यौगिक शब्द सार्थक शब्दों के मेल के अतिरिक्त उपसर्ग, प्रत्यय आदि के योग से भी बनते हैं। इस प्रक्रिया में शब्दों का निर्माण किसी शब्द में अन्य शब्दांश का मेल होने से अथवा शब्दों के मेल से होता है; जैसे– 'असफल' शब्द 'अ' शब्दांश तथा 'सफल' शब्द के मेल से बना है। यही शब्द-रचना प्रक्रिया भाषा को सशक्त और लोचदार बनाती है। योगरूढ़ शब्द भी दो शब्दों के मेल से निर्मित होते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं।

शब्द-रचना के अंतर्गत केवल यौगिक शब्दों पर विचार किया जाता है।

शब्द-रचना की रीति– शब्द-रचना के लिए रूढ़ (मूल) शब्दों में उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। इस प्रकार यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। यह चार प्रकार से होता है–

(i) उपसर्ग के योग से
(ii) प्रत्ययों के योग से
(iii) उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के योग से
(iv) समास (शब्दों के योग) से।

2. **समास के भेद–** समास में कहीं पहला पद प्रधान होता है, कहीं दूसरा; कहीं दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कहीं कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस प्रकार' समास के भेद उनके पदों के आधार पर किए गए हैं। इस आधार पर समास के चार प्रमुख भेद किए गए हैं–

(i) **अव्ययीभाव समास–** जिस समस्तपद का पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो और उसके योग से सारा समस्तपद ही अव्यय बन पाए, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास में मुख्य रूप से आ, अन, यथा, नि, भर, बे, बा, प्रति आदि अव्ययों का प्रयोग होता है; जैसे–

समस्तपद	विग्रह
हाथोहाथ	एक हाथ से दूसरे हाथ
यथासमय	ठीक समय पर

(ii) **तत्पुरुष समास–** जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास छह प्रकार का होता है। ये प्रकार छह कारकों की विभक्तियों के अनुसार होते हैं। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किसी भी कारक के विभक्ति-चिह्न आते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक के विभक्ति-चिह्न का लोप हो जाता है, उसी कारक के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है।

(क) कर्म तत्पुरुष (पूर्वपद में कर्म कारक की विभक्ति 'को' का लोप)–

समस्तपद	विग्रह
यशप्राप्त	यश को प्राप्त
स्वर्गगत	स्वर्ग को गया हुआ

(ख) करण तत्पुरुष (पूर्वपद में करण कारक की विभक्ति 'से, के द्वारा' का लोप)–

समस्तपद	विग्रह
गुणयुक्त	गुण से युक्त
रोगमुक्त	रोग से मुक्त

(ग) संप्रदान तत्पुरुष (संप्रदान कारक की विभक्ति 'के लिए' का लोप)–

समस्तपद	विग्रह
डाकगाड़ी	डाक के लिए गाड़ी
देशभक्ति	देश के लिए भक्ति

(घ) अपादान तत्पुरुष (अपादान कारक की विभक्ति 'से', अलग होने का भाव, का लोप)–

समस्तपद	विग्रह
गुणहीन	गुणों से हीन
पथभ्रष्ट	पथ से भ्रष्ट

(ङ) संबंध तत्पुरुष (संबंध कारक की विभक्ति 'का, के, की' का लोप)–

समस्तपद	**विग्रह**
गंगातट	गंगा का तट
देवमूर्ति	देव की मूर्ति

(च) अधिकरण तत्पुरुष (अधिकरण कारक की विभक्ति 'में, पर' का लोप)–

समस्तपद	**विग्रह**
कुलश्रेष्ठ	कुल में श्रेष्ठ
घुड़सवार	घोड़े पर सवार

3. **तत्पुरुष समास के उपभेद–** तत्पुरुष समास के निम्नलिखित उपभेद हैं–

(i) **अलुक् तत्पुरुष–** जिस समस्तपद की विभक्ति का लोप नहीं होता, वह 'अलुक् तत्पुरुष' कहलाता है।

समस्तपद	**विग्रह**
युधिष्ठिर	युधि (युद्ध में) स्थिर
धनंजय	धनम् (धन को) जय करने वाला

(ii) **नञ् तत्पुरुष–** जिस समस्तपद में पहला पद निषेधात्मक हो, उसे नञ् तत्पुरुष कहते हैं।

समस्तपद	**विग्रह**
अनहोनी	न होनी
अनचाही	न चाही

(iii) **मध्यमपदलोपी तत्पुरुष–** जिस समस्तपद के दोनों पदों के बीच में कोई पद लुप्त हो, उसे मध्यमपदलोपी तत्पुरुष कहते हैं।

समस्तपद	**विग्रह**
गोबरगणेश	गोबर से बना गणेश (अच्छे कार्य को खराब कर देना)
वनमानुष	वन में रहने वाला मनुष्य

(iv) **कर्मधारय समास–** जिस समास में दोनों पदों में विशेषण-विशेष्य अथवा उपमेय-उपमान संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं।

विशेषण-विशेष्य समस्तपद	**विग्रह**
श्वेताम्बर	श्वेत है जो अंबर
महादेव	महान है जो देव

विशेष्य पूर्वपद:

समस्तपद	**विग्रह**
नरोत्तम	नरों में जो उत्तम

उपमान-उपमेय समस्तपद	विग्रह
करकमल	कमल के समान कर
भुजदंड	दंड के समान भुजा

(v) **द्विगु समास–** जिस समस्तपद का पहला पद संख्यावा. चक विशेषण हो और किसी समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं।

समस्तपद	**विग्रह**
त्रिलोक	तीन लोकों का समूह
दोराहा	दो राहों का समाहार
त्रिफला	तीन फलों का समाहार

द्वंद्वं समास– जिस समस्तपद में दोनों पद प्रधान हों और विग्रह करने पर 'एवं, और, तथा' आदि योजक शब्द लगते हों, वह द्वंद्वं समास कहलाता है; जैसे–

समस्तपद	**विग्रह**
दाल-रोटी	दाल और रोटी
हार-जीत	हार तथा जीत

बहुव्रीहि समास– जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य ही प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं; जैसे–

	समस्तपद	विग्रह
	नीलंकठ	नीला है कंठ जिसका (शिव)
	लंबोदर	लंबा है उदर जिसका (गणेश)

उ०(घ)

	समस्त पद	विग्रह	समास का नाम
1.	आजीवन	जीवनभर	अव्ययीभाव समास
2.	भरपूर	पूरा भरा हुआ	अव्ययीभाव समास
3.	आपबीती	आप पर बीती	अधिकरण तत्पुरुष समास
4.	शरणागत	शरण में आगत	अधिकरण तत्पुरुष समास
5.	यशप्राप्त	यश को प्राप्त	कर्म तत्पुरुष
6.	डाकगाड़ी	डाक के लिए गाड़ी	तत्पुरुष समास
7.	गंगाजल	गंगा का जल	तत्पुरुष समास
8.	देशभक्ति	देश के लिए भक्ति	संप्रदान तत्पुरुष।

अध्याय 4
संधि

उ०(क) 1. संधि का अर्थ है– मेल।

2. तीन प्रकार।

3. पाँच उपभेद।

उ०(ख) 1. निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल दो ध्वनियों (स्वर या व्यंजन) के बीच ही संधि होती है, शब्दों के बीच नहीं। संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है।

2. संधि-विच्छेद– संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि अलग-अलग कर दिया जाए, तो यह प्रक्रिया संधि-विच्छेद कहलाती है; जैसे– पुस्तकालय का संधि-विच्छेद होगा– पुस्तक+आलय।

3. **स्वर संधि–** दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप-परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होते हैं और ये परस्पर मिलकर नया रूप धारण करते हैं; जैसे– राजा+ईश (आ+ई=ए)=राजेश।

स्वर संधि के निम्नलिखित पाँच उपभेद हैं– (i) दीर्घ संधि, (ii) गुण संधि, (iii) वृद्धि संधि, (iv) यण् संधि (v) अयादि संधि।

उ०(ग) 1. हिंदी में तीन प्रकार की संधियाँ होती हैं–

(i) स्वर संधि (ii) व्यंजन संधि (iii) विसर्ग संधि।

(i) **स्वर संधि–** दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप-परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होते हैं और ये परस्पर मिलकर नया रूप धारण करते हैं; जैसे– राजा+ईश (आ+ई=ए)=राजेश।

स्वर संधि के निम्नलिखित पाँच उपभेद हैं– (i) दीर्घ संधि, (ii) गुण संधि, (iii) वृद्धि संधि, (iv) यण् संधि (v) अयादि संधि।

(ii) **व्यंजन संधि–** जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो, तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे– भगवत+गीता = भगवद्गीता।

(iii) **विसर्ग संधि–** परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग (:) और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन से होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे– मन:बल = मनोबल।

2. **यण् संधि–** यदि ह्रस्व या दीर्घ 'इ, उ' या 'ऋ' के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो इनके योग से इनके स्थान पर क्रमश: 'य्', 'व्' और 'अर्' हो जाता है। इसे यण् संधि कहते हैं।

(i) यदि 'इ' या 'ई' के बाद 'इ' या 'ई' को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तो 'इ' या 'ई' का 'य्' हो जाता है–

(इ+अ=य्)–यदि+अपि=यद्यपि

(इ+आ=या)– अति+आचार=अत्याचार

(इ+ऊ=य्)–नि+ऊन=न्यून

(ई+अ=य्)– देवी+अर्पण=देव्यर्पण

(इ+अ=य्)–अति+अधिक=अत्यधिक

(इ+ए=ये)– प्रति+एक=प्रत्येक

(इ+उ=यु)–अति+उत्तम=अत्युत्तम

इ+आ=या)– इति+आदि=इत्यादि

(ii) यदि 'उ' या 'ऊ' के बाद 'उ' या 'ऊ' को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तो 'उ' या 'ऊ' का 'व' हो जाता है–

(उ+अ=व)–सु+अल्प=स्वल्प

सु+अस्ति=स्वस्ति

(उ,ऊ+आ=व)—सु+आगत=स्वागत

वधू+आगमन=वध्वागमन

(उ+इ=वि)—अनु+इति=अन्विति

(उ+ए=वे)—अनु+एषण=अन्वेषण।

(iii) यदि ऋ के बाद कोई अन्य स्वर हो, तो 'ऋ'का 'र्' हो जाता है—

(ऋ+आ=रा)—मातृ+आज्ञा=मात्राज्ञा

पतृ+आदेश=पित्रादेश

(ऋ+उ=रु)—पितृ+उपदेश=पित्रुपदेश

मातृ+उपदेश=मात्रुपदेश।

3. **विसर्ग संधि—** विसर्ग संधि के निम्न प्रकार होते हैं—

(i) विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद च या छ होने पर 'श्' हो जाता है, विसर्ग के बाद ट या ठ होने पर 'ष्' हो जाता है तथा विसर्ग के बाद त, थ होने पर 'स्' हो जाता है—

नि:+चय = निश्चय	नि:+छल = निश्छल
नि:+ठुर = निष्ठुर	दु:+चरित्र = दुश्चरित्र
नि:+तेज = निस्तेज	धनु:+टंकार = धनुष्टंकार।

(ii) विसर्ग के बाद यदि 'श' या 'स' हो, तो विसर्ग ज्यों-का-त्यों बना रहता है या उसकी जगह क्रमश: 'श्, ष्' या 'स्' हो जाता है—

नि:+संदेह = नि:संदेह या निस्संदेह

दु:+शासन=दु:शासन या दुश्शासन

नि:+संकोच = नि:संकोच या निस्संकोच

नि:+संतान = नि:संतान या निस्संतान।

(iii) विसर्ग से पूर्व यदि 'अ' हो और बाद में 'अ' या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण अथवा 'य, र, ल, व, ह' में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का 'ओ' हो जाता है—

मन:+बल = मनोबल	यश:+दा = यशोदा
मन:+विकार = मनोविकार	तप:+वन = तपोवन

मनः+हर = मनोहर　　मनः+अनुकुल = मनोनुकुल
रजः+गुण = रजोगुण　　तमः+गुण = तमोगुण

(iv) विसर्ग से पहले 'अ, आ' से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण या 'य, र, ल, व, ह' में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का 'र्' हो जाता है–

दुः+उपयोग = दुरुपयोग　　निः+जन = निर्जन
निः+भय = निर्भय　　निः+बल = निर्बल
निः+अर्थक = निरर्थक　　निः+उत्तर = निरुत्तर
निः+आहार = निराहार　　पुनः+जन्म = पुनर्जन्म
दुः+बुद्धि = दुर्बुद्धि　　निः+आशा = निराशा
दुः+आचार = दुराचार　　आशीः+वाद = आशीर्वाद
बहिः+मुख = बहिर्मुख　　अंतः+गत = अंतर्गत

(v) विसर्ग से पहले 'अ' या 'आ' हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है– अतः + एव = अतएव।

यदि विसर्ग से पहले 'अ' को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद 'र' हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है–

निः+रस = नीरस　　निः+रज = नीरज
निः+रव = नीरव

(vi) कुछ शब्दों में विसर्ग का 'स' हो जाता है–

नमः+कार = नमस्कार　　पुरः+कार = पुरस्कार
भाः+कर = भास्कर

यदि विसर्ग से पहले 'अ' हो और विसर्ग के बाद 'क' या 'प' हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता–

प्रातः+काल = प्रातःकाल　　अधः+पतन = अधःपतन

उ०(घ) 1. व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर विकार उत्पन्न होता है, वह व्यंजन संधि कहलाता है। जबकि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो विकार होता है, वह विसर्ग

संधि कहलाता है। विसर्ग संधि में विसर्ग (:) का प्रयोग होता है जबकि व्यंजन संधि में नहीं होता।

2. (i) **दीर्घ संधि–** एक ही जाति के स्वरों के निकट आने पर उनके मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं।

   (ii) **गुण संधि–** यदि 'अ' या 'आ' के बाद 'इ' या 'ई' हो, तो दोनों के स्थान पर 'ए'; यदि 'उ' या 'ऊ' हो, तो दोनों के स्थान पर 'ओ' और यदि 'ऋ' हो, तो 'अर्' हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं।

उ०(ङ) 1. महीं+इंद्र=महींद्र, सु+उक्ति=सूक्ति गिरि+ईश=गिरीश

2. नर+इंद्र=नरेन्द्र, पर+उपकार=परोपकार राजा+ऋषि=राजर्षि

3. सदा+ऐव=सदैव वन+औषधि=वनोषधि यदि+अपि=यद्यपि

4. प्रति+एक=प्रत्येक अति+अधिक=अत्यधिक सु+आति=स्वाति

5. सु+आगत=स्वागत भो+अन=भोजन पौ+अक=पावक

उ०(च) 1. शरच्चंद्र=शरत्+चंद्र

2. दिगम्बर=दिक्+अम्बर

3. अंतर्गत=अंत:+गत

4. महोत्सव=महा+उत्सव

5. रजनीश=रजनी+ईश

6. दुर्जन=दुर्+जन

7. सतीच्छा=सती+इच्छा

8. राजैश्वर्य=राजा+ऐश्वर्य

9. मात्राज्ञा=मातृ+आज्ञा

10. अन्वेषण=अन्+वेषण

अध्याय 5

शब्द-भंडार

उ०(क) 1. (i) इष्ट-अनिष्ट (ii) थोड़ा-बहुत (iii) आशा-निराशा
(iv) जटिल-सरल, ताप-शीत (v) झूठ-सच

2. (i) जल (ii) रंग (iii) नगीना
(iv) मोक्ष (v) मृत्यु

3. (i) कोष (ii) हँस (iii) अवधी
(iv) अमूल्य (v) इच्छा (vi) उपयोग
(vii) (1) कटुभाषी (2) कलाकार (3) गगनचुंबी
(4) अगम्य (5) आलोचक (6) संगीतकार

उ०(ख) 1. समान अर्थ देने वाले शब्द 'समानार्थी' या 'पर्यायवाची' शब्द कहलाते हैं। यद्यपि हिंदी-भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द संदर्भानुसार अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं तथा पूरी तरह से कोई शब्द दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता, फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर उन्हें पर्यायवाची मान लिया गया है।

2. कमल – नीरज पंकज जलज
गंगा – देवनदी भागीरथी मंदाकिनी

3. **विपरीतार्थक शब्द–** विपरीत अर्थ अथवा उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं।

4. (i) तरुण वृद्ध (ii) जीवन मरण
(iii) मनुज दनुज (iv) कनिष्ठ ज्येष्ठ/वरिष्ठ
(v) चल अचल (vi) निर्मल मलीन
(vii) ताप शीत (vii) अस्त व्यस्त
(ix) परिश्रम अपरिश्रम

6. (i) विधि कानून तरीका ब्रह्मा
(ii) कर हाथ शुल्क (टैक्स) सूँड
(iii) उत्तर जवाब दिशा का नाम बाद का

7. (i) गज (हाथी) गज एक विशाल जानवर है।
गज (माप की इकाई) रामू के पास दो गज जमीन भी नहीं है।

(ii) गिरि (पर्वत) हिमाचल की श्वेत गिरि उत्तर में विराजमान है।

गिरी बादाम गिरी सेहत के लिए अच्छी होती है।

8. (i) अभूतपूर्व कपिल ने चोरों को पकड़कर अभूतपूर्व साहस का कार्य किया।

(ii) वाचाल आज-कल पर्यावरण संरक्षण पर लोग बहुत वाचाल हो रहे हैं।

उ०(ग) 1. वन जंगल शेर वन का राजा है, इसलिए उसे वनराज कहते हैं।

उपवन उद्यान हेमंत के घर के सामने एक सुन्दर उद्यान है।

2. उपयोग इस्तेमाल आजकल कम्प्यूटर का उपयोग बहुत बढ़ गया है।

प्रयोग परीक्षण करना वैज्ञानिकों को अनेक प्रयोग करने पर सफलता मिलती है।

3. शत्रु दुश्मन शत्रु को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिये।

विरोधी प्रतिद्वंदी हमारी विरोधी टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

अध्याय 6

संज्ञा

उ०(क) 1. संज्ञा के पाँच भेद होते हैं।

2. भाववाचक संज्ञाओं की रचना पाँच प्रकार के शब्दों से होती है।

3. जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।

उ०(ख) 1. किसी प्राणी, वस्तु, गुण, भाव या स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं।

2. **संज्ञा के भेदों के नाम–** संज्ञा के तीन भेद होते हैं। इनके नाम निम्न प्रकार हैं–

(i) व्यक्तिवाचक संज्ञा

(ii) जातिवाचक संज्ञा

(iii) भाववाचक संज्ञा।

3. **व्यक्तिवाचक संज्ञा–** जो संज्ञा शब्द किसी विशेष नाम के व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराएँ, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे–

व्यक्तियों के नाम– राजीव, गणपत, मोहन, अखिल, राम, महेश, सीता, उर्मिला आदि।

प्राणियों के नाम– कामधेनु, चेतक (महाराणा प्रताप का घोड़ा), ऐरावत (इंद्र का हाथी) आदि।

वस्तुओं के नाम– गांडीव (अर्जुन का धनुष), पांचजन्य (एक शंख का नाम) आदि।

स्थानों के नाम– भारतवर्ष, दिल्ली, लखनऊ, नेपाल, अफगा. निस्तान, अयोध्या आदि।

इसके अतिरिक्त नदियों, समुद्रों, समाचार-पत्रों, दिनों, वर्षों, पुस्तकों, पर्वतों आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं

उ०(ग) 1. जब संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएँ एकवचन में प्रयुक्त होती हैं; किंतु जब विशेष

स्थितियों, आवश्यकताओं अथवा रूढ़ियों के कारण इन्हें एक व्यक्ति या भाव के लिए प्रयुक्त न करके व्यक्ति सामान्य या भाव सामान्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं, उस समय ये बहुवचन भी हो सकती हैं; जैसे–

(i) कश्मीर सुंदरताओं की जन्मभूमि है।

(ii) ऊँचाइयाँ नापनी हों तो हिमालय की सैर करो।

(iii) वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया।

2. (i) **द्रव्यवाचक संज्ञा–** जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे– लोहा, चाँदी, सोना, पीतल, गेहूँ, चावल, जल, दूध, तेल आदि।

(ii) **समूहवाचक संज्ञा–** जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे– कक्षा, दल, सेना, भीड़, गुच्छा, सभा, गिरोह आदि।

3. (i) उड़ान क्रिया से (उड़ना) जातिवाचक संज्ञा से

(ii) निजता सर्वनाम से (निज) विशेषण से (निजी)

(iii) कमजोरी जातिवाचक संज्ञा से (कमजोर) विशेषण से (कमजोरता)

(iv) जीत क्रिया से (जीतना) विशेषण से (जिताई)

(v) दूरी विशेषण से (दूर) अव्यय से

उ०(घ) 1. चालाक चालाकी

2. शिष्ट शिष्टता

3. परिवार पारिवारिक

4. जलना जलन

5. फैलना फैलाव।

उ०(ङ)

1.	सेना	समूहवाचक संज्ञा	5.	घोड़ा	जातिवाचक संज्ञा
2.	दूध	द्रव्यवाचक संज्ञा	6.	पीतल	द्रव्यवाचक संज्ञा
3.	अच्छाई	भाववाचक संज्ञा	7.	मेला	जातिवाचक संज्ञा
4.	हरिद्वार	व्यक्तिवाचक संज्ञा	8.	हिंसा	भाववाचक संज्ञा

उ०(च) 1. **मुंबई** में बहुत **सर्दी** नहीं पड़ती, इसलिए चाचा जी **कुर्ता** पहने हुए थे।

2. क्या यही **भारतवर्ष** है जिसका सपना **गाँधी** और **नेहरू** ने देखा था?

3. उनकी आँखों से **आँसू** टपक रहे थे।

4. **उदारता** ने लोगों को महात्मा बना दिया।

5. **राजीव** की **सच्चाई** ने सबको **मोहित** कर दिया।

उ०(छ) 1. जीवित प्राणियों के लिए प्राणीवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है, जैसे- बालक, माता, पिता, मोर, घोड़ा आदि।
अप्राणीवाचक संज्ञाएँ वस्तुओं के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे- कपड़े, मेज, पुस्तक, कुर्सी, पेन आदि।

2. कुछ संज्ञा गणनीय होती हैं, अर्थात जिन्हें गिना जा सकता है, वे गणनीय संज्ञा कहलाती हैं, जैसे- शहर, मकान, कुत्ता, हाथी, कुर्सी आदि।
जिन संज्ञा को गिना नहीं जा सकता, उन्हें अणनीय संज्ञा कहते हैं; जैसे- तारे, अच्छाई, हरियाली, मित्रता, हवा आदि।

अध्याय 7
लिंग

उ०(क) 1. लिंग के दो भेद हैं।

2. दो प्रकार से।

3. कोयल।

4. मोर।

उ०(ख) 1. लिंग शब्द से अभिप्राय है 'चिह्न' या 'पहचान का साधन'। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष (नर) जाति का है अथवा स्त्री (मादा) जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं।

2. **स्त्रीलिंग–** जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं; स्त्रीलिंग कहलाते हैं; जैसे– स्त्री, लड़की, बेटी, चाची, घोड़ी, शेरनी, गाय आदि।

3. **पुल्लिंग–** जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं; जैसे– पुरुष, लड़का, बेटा, चाचा, घोड़ा, शेर, बैल आदि।

4. तत्सम अकारांत शब्दों के अंत में 'आ' जोड़कर

पुल्लिंग	**स्त्रीलिंग**	**पुल्लिंग**	**स्त्रीलिंग**
छात्र	छात्रा	बाल	बाला
पूज्य	पूज्या	चंचल	चंचला

उ०(ग) 1. प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द पुल्लिग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। किंतु कुछ शब्द नित्य पुल्लिग में और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं।

(i) **नित्य पुल्लिंग शब्द–** तोता, कौआ, पशु, पक्षी, उल्लू, कीड़ा, मच्छर, भेड़िया, गैंडा, खटमल आदि शब्दों को पुल्लिग रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है।

(ii) **नित्य स्त्रीलिंग शब्द–** नर्स, सती, धाय, सौत, सुहा. गिन, संतान, कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक,

मैना, मक्खी, मछली, छिपकली, भेड़, बुलबुल आदि सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं।

2.

	शब्द	**पुल्लिंग**	**स्त्रीलिंग**
(i)	अमृत	पीयूष	सुधा
(ii)	किरण	प्रकाश	रश्मि
(iii)	आकांशा	मनोरथ	इच्छा
(iv)	मित्र	मीत	सखी
(v)	मोक्ष	निर्वाण	मुक्ति

3. (क) (i) **ख** से समाप्त होने वाले शब्द– भीख, चीख, राख, साख (सभी स्त्रीलिंग)।

(ii) **त्र** से समाप्त शब्द– छात्र, छत्र, मात्र, नेत्र (सभी पुल्लिंग)।

(iii) **त** से समाप्त शब्द– खत (पुल्लिंग), दौलत, नफ. रत, इज्जत (स्त्रीलिंग)।

(iv) **री** से समाप्त शब्द– पारी, पटरी, प्यारी, मठरी (सभी स्त्रीलिंग)।

(v) **आ** से समाप्त शब्द– दया, क्षमा, रमा, वंदना (सभी स्त्रीलिंग)

(ख) (i) आवट– रूकावट, थकावट, सजावट (सभी स्त्रीलिंग)

(ii) आव– बहाव, जमाव, लगाव, चुनाव (सभी पुल्लिंग)

(iii) खाना– मखाना, दवाखाना, डाकखाना (सभी पुल्लिंग)

(iv) आपा– मोटापा, बुढ़ापा, पुजापा (सभी पुल्लिंग)

(v) अक– गायक, लेखक, सुधारक (सभी पुल्लिंग)।

अध्याय 8

वचन

उ०(क) 1. वचन दो प्रकार के होते हैं। 2. एकवचन का।
3. बहुवचन में।

उ०(ख) 1. संज्ञा या सर्वनाम या तो संख्या में 'एक' होते हैं या 'एक से अधिक'। संज्ञा या सर्वनाम का यह रूप व्याकरण में वचन कहलाता है। शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वह एक संज्ञा या सर्वनाम के लिए है अथवा एक से अधिक के लिए, प्रयुक्त हुआ वचन कहलाता है।

2. **एकवचन–** शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, उसे एकवचन कहते हैं; जैसे– लड़का, पुस्तक, बच्चा, कुत्ता, खिलौना, मैं आदि।

3. **बहुवचन–** शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं; जैसे– लड़के, बच्चे, कुत्ते, खिलौने, हम आदि।

उ०(ग) 1. **एकवचन से बहुवचन-परिवर्तन संबंधी नियम**

(i) अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम 'अ' को 'ए' कर दिया जाता है–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
बेटा	बेटे	ताला	ताले
लड़का	लड़के	चूहा	चूहे

(ii) अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम 'अ' को 'ए' कर दिया जाता है–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
आँख	आँखें	कमीज़	कमीज़ें
साइकिल	साइकिलें	किताब	किताबें

(iii) आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में 'एँ' जोड़ दिया जाता है–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
छात्रा	छात्राएँ	लता	लताएँ
कविता	कविताएँ	कथा	कथाएँ

(iv) इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में 'याँ' जोड़कर 'ई' को 'इ' कर दिया जाता है–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
नारी	नारियाँ	रानी	रानियाँ
नीति	नीतियाँ	चाबी	चाबियाँ

(v) स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम 'या' को 'याँ' करने से–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
चुहिया	चुहियाँ	डिबिया	डिबियाँ
लुटिया	लुटियाँ	कुटिया	कुटियाँ

(vi) उकारांत, ऊकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में 'एँ' बढ़ा देते हैं तथा 'ऊ' को ह्रस्व 'उ' कर दिया जाता है–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
लू	लुएँ	बहू	बहुएँ
धेनु	धेनुएँ	वस्तु	वस्तुएँ

(vii) कुछ एकवचन शब्दों में 'गण, जन, वृंद, वर्ग, लोग, समाज' आदि शब्द जोड़कर उन्हें बहुवचन बनाते हैं–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
मित्र	मित्रगण	मज़दूर	मज़दूरलोग
प्रजा	प्रजाजन	पाठक	पाठकवृंद

(viii) कुछ शब्दों जैसे– भेड़-बकरी, गाय-भैंस, घोड़ा-गाड़ी जैसे समस्त पदों का बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में परिवर्तन होता है; जैसे–

(1) कंडक्टर सवारियों को भेड़-बकरियाँ समझे बस में ठूँसे चला जा रहा था।

2. हिंदी में साधारणत: एक संख्या के लिए एकवचन तथा एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, किंतु कभी-कभी निम्नलिखित परिस्थितियों में 'एक' के लिए भी बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है–

(i) किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एकवचन को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है; जैसे–

(1) श्रीराम दशरथ के पुत्र थे।

(2) मेरे पिता जी घर पर हैं।

इन वाक्यों में 'श्रीराम, पिता जी एकवचन संज्ञाएँ हैं, परंतु सम्मान या आदर के अर्थ में इनके लिए 'थे, हैं' जैसी बहुवचन सूचक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है।

(ii) लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप ही प्रयोग में आता है; जैसे– 'तू' एकवचन के स्थान पर 'तुम' का प्रयोग । 'तू' का प्रयोग केवल अत्यंत प्रिय या अत्यंत छोटे के लिए ही किया जाता है, अन्यथा यह अप्रिय लगता है और अपमानजनक भी।

(i) तू क्या कर रहा है? → तुम क्या कर रहे हो?

(ii) तू कब आएगा? → तुम कब जाओगे?

ये वाक्य सुनने में प्रिय तथा सम्मानजनक लगते हैं।

(iii) कभी-कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी 'मैं' के स्थान पर 'हम' का प्रयोग कर दिया जाता है; जैसे–

(1) ऑफ़िस जाते समय पिता जी बोले– "हम शाम को पाँच बजे आएँगे।"

(2) मंत्री जी बोले– "हमने जनता से जो वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे।"

अध्याय 9

कारक

उ०(क) 1. कारक के आठ भेद होते हैं।

2. विभक्ति चिह्न या परसर्ग।

3. कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है।

4. कर्म कारक का विभक्ति चिह्न 'को' है।

उ०(ख) 1. संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम पदों से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं।

2. विभक्ति-चिह्नों सहित कारक

क्रम	कारक	विभक्ति-चिह्न	विभक्ति
1.	कर्ता कारक	ने	ने
2.	कर्म कारक	को	को
3.	करण कारक	से, के द्वारा	से, के द्वारा
4.	सम्प्रदान कारक	के लिए, को	के लिए, को
5.	अपादान कारक	से (अलग होना)	से (अलग होना)
6.	संबंध कारक	का, की, के, रा, री, रे	का, की, के, रा, री, रे
7.	अधिकरण कारक	में, पर	में, पर
8.	संबोधन कारक	हे, अरे, ओ	हे, अरे, ओ

3. **संबोधन कारक–** संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, वह संबोधन कारक कहलाता है।

(i) ऐ! कहाँ जा रहे हो?

(ii) अरे भाई! यहाँ तो आओ।

(iii) बच्चो! खूब मन लगाकर पढ़ो।

(iv) ठहरो! उस तरफ़ खतरा है।

(v) बेटा, यहाँ आओ।

(vi) श्रीमान जी, तशरीफ लाइए।

4. **कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर**

दोनों कारकों में 'को' परसर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है; जैसे–

(i) माँ ने बेटे को समझाया। (कर्म कारक)

(ii) माँ ने बेटे को घड़ी दी। (संप्रदान कारक)

उ०(ग) 1. कारक के निम्नलिखित आठ भेद हैं–

(i) कर्ता कारक

उदाहरण– • मीरा **ने** खाना खाया।

(ii) कर्म कारक

उदाहरण– • रोहित ने स्वाति **को** समझाया।

(iii) करण कारक

उदाहरण– • चित्रकार ने रंगों से चित्र बनाया।

• मैं नौकर के द्वारा संदेश भेज दूँगा।

(iv) संप्रदान कारक

उदाहरण– • दीपा ने भाई के लिए घड़ी खरीदी।

(v) अपादान कारक

उदाहरण– • बंदर पेड़ से कूद गया।

(vi) संबंध कारक

उदाहरण– • मोहित का लेख सुंदर है।

• वह मेरा घर है।

(vii) अधिकरण कारक

उदाहरण– • चिड़िया पेड़ पर बैठी है।

• पिताजी कमरे में सो रहे हैं।

(viii) संबोधन कारक

उदाहरण– • अरे भाई! यहाँ तो आओ।

• बच्चों! खूब मन लगाकर पढ़ो।

2. **करण कारक और अपादान कारक में अंतर**

करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति-चिह्न 'से' है, परंतु करण कारक में 'से' किसी साधन या सहायक का

सूचक होता है, जबकि अपादान कारक में 'से' अलग होने का सूचक होता है।

करण कारक	**अपादान कारक**
(i) मैंने पेन से पत्र लिखा।	(i) मेरे हाथ से पेन छूट गया।
(ii) मोहन गाड़ी से आया।	(ii) पेड़ से पत्ते गिरते हैं।

3. उकारांत स्त्रीलिंग शब्द-रूप 'वस्तु'

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	वस्तु, वस्तु ने	वस्तुएँ, वस्तुओं ने
कर्म	वस्तु को	वस्तुओं को
करण	वस्तु से, के द्वारा	वस्तुओं से, के द्वारा
संप्रदान	वस्तु को, के लिए	वस्तुओं को, के लिए
अपादान	वस्तु से	वस्तुओं से
संबंध	वस्तु का, के, की	वस्तुओं का, के, की
अधिकरण	वस्तु में, पर	वस्तुओं में, पर
संबोधन	हे वस्तु !	हे वस्तुओं !

उ०(घ) 1. कर्म कारक 2. अपादान कारक
3. करण कारक 4. संबंध कारक

उ०(ङ) 1. कर्ता 2. अपादान 3. अधिकरण
4. संबोधन।

उ०(च) 1. परीक्षा मार्च में होगी।
2. मोहन ने चाकू से सेब काटा।
3. रमा को स्कूल जाना है।

उ०(छ)

पर	अधिकरण कारक	के लिए	सम्प्रदान कारक
को	संबंध कारक	की	संबंध कारक
में	अधिकरण कारक	से	करण कारक।

अध्याय 10
सर्वनाम

उ०(क) 1. छह भेद

2. सर्वनाम

3. हम का प्रयोग।

उ०(ख) 1. **पुरुषवाचक सर्वनाम–** बोलने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम तीन होते हैं– (i) उत्तम पुरुष (ii) मध्यम पुरुष (iii) अन्य पुरुष।

2. **निजवाचक सर्वनाम–** जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व (अपने आप) का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे– आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि।

3. **सर्वनाम प्रयोग के कुछ अन्य नियम**

(i) अन्य पुरुष बहुवचन रूप का सर्वनाम आदरार्थक होने पर भी एक व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है; जैसे– विवेकानंद महान दार्शनिक थे। उन्होंने नीति-संबंधी अनेक व्याख्यान दिए।
यहाँ उन्होंने सर्वनाम आदरार्थक है, इसलिए बहुवचन की भाँति प्रयोग किया गया है।

(ii) उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बहुवचन रूप वाले सर्वनाम एक व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं; जैसे– हम आज आएँगे। अर्थात् मैं आज आऊँगा।

उ०(ग) 1. सर्वनाम के छह भेद होते हैं–

(i) पुरुषवाचक (ii) निश्चयवाचक
(iii) अनिश्चयवाचक (iv) संबंधवाचक
(v) प्रश्नवाचक (vi) निजवाचक

उदाहरण–

(i) पुरुषवाचक सर्वनाम

- मैं गृहकार्य कर रहा हूँ।
- तुम बाजार जाओगे।
- वे अच्छे व्यक्ति हैं।

(ii) निश्चयवाचक सर्वनाम–

- यह नितिन की पुस्तक है।
- वह मेरा घर है।

(iii) अनिश्चयवाचक सर्वनाम–

- कोई बाहर खड़ा है।
- कुछ खाकर ही स्कूल जाना।

(iv) संबंधवाचक सर्वनाम–

- जैसा करोगे, वैसा भरोगे।
- जिसका नाम पुकारा जायेगा, वही अंदर आयेगा।

(v) प्रश्नवाचक सर्वनाम–

- गिलास किसने तोड़ा था?
- खाना कौन पकायेगा?

(vi) निजवाचक सर्वनाम–

- अपना कार्य स्वयं करना चाहिए।
- आप स्वयं ही देख लीजिए।

2. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं; जैसे राम, मेरठ, गंगा, भावुकता आदि। वहीं सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल संज्ञा के स्थानपर किया जाता है; जैसे मैं, हम, तुम, वे आदि।

   संज्ञा केवल उसी का नाम का बोध कराती है, जिसका वह नाम है, लेकिन सर्वनाम से केवल एक के ही नाम का नहीं, बल्कि सबके नाम का बोध होता है।

3. **निश्चयवाचक सर्वनाम–** जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे– यह, वह, ये, वे आदि।

(i) गुप्ता जी का घर यह है, वह मेरा है।

(ii) वे क्या हैं?

(iii) इस पुस्तक का देखो, यह कितनी उपयोगी है।

(iv) ये सभी चोर हैं।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम– किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे– कोई, किसी, कुछ आदि।

(i) शायद बाग में कोई है।

(ii) वह किसी को कुछ नहीं कह सकता।

(iii) कुछ खाकर ही बाज़ार जाना।

(iv) मेरे लिए बाज़ार से कुछ लेते आना।

अध्याय 11

क्रिया

उ०(क)

		अकर्मक	सकर्मक
1.	रमा जाग रही है।	जाग	–
2.	सुनील चला जाएगा।	चला	–
3.	नौकर सफ़ाई कर रहा है।	–	सफ़ाई कर रहा है।
4.	माला के पिता जी ने खिलौने खरीदे।	–	खरीदे
5.	अध्यापक ने मुझे बुलाया।	–	बुलाया

उ०(ख)

थपथप	थपथपाना	मोटा	मोटाना
भूल	भूलना	लज्जा	लजाना
भौं–भौ	भौंकना	थर–थर	थरथराना
झूठ	झुठलाना	बड़–बड़	बड़बड़ाना

उ०(ग)

		मूल क्रिया	रंजक क्रिया
1.	उसने पत्र भेज दिया है।	भेज	दिया
2.	बच्चा हँस पड़ा।	हँस	पड़ा
3.	यह तुमने क्या कर दिया?	कर	दिया
4.	मेरे मित्र चले गए हैं?	चले	गए
5.	उसने खाना खा लिया था।	खा	लिया
6.	वह दिनभर सोती रही।	सोती	रही

उ०(घ)

		प्रथम प्रेरणार्थक	द्वितीय प्रेरणार्थक
1.	चलना	चलाना	चलवाना
2.	बनना	बनाना	बनवाना
3.	डूबना	डुबाना	डुबवाना
4.	लगना	लगाना	लगवाना
5.	चढ़ना	चढ़ाना	चढ़वाना

उ०(ङ)

1.	गाड़ी देर से पहुँची।	अकर्मक क्रिया
2.	मुझे यह काम करना पड़ा।	सकर्मक क्रिया
3.	माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए।	सकर्मक क्रिया
4.	छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं।	सकर्मक क्रिया
5.	अब तो उसे खेलने दो।	सकर्मक क्रिया

अध्याय 12
विशेषण

उ०(क) 1. (i) गीता बहुत सुरीला गाती है।

(ii) श्रमिक मेहनती होते हैं।

(iii) हमने गोल मेज खरीदी।

(iv) बगीचे में लाल फूल खिले हैं।

2. (i) अनिश्चित–

कुछ पानी कई फल कुछ मीटर कपड़ा

(ii) निश्चित–

दो लीटर दूध चार किलो चीनी एक किलो सेब

उ०(ख) 1.

	विशेषण	**संज्ञा**
(i)	बीस ग्राम, काली	मिर्च
(ii)	दस किलो	माधुरी, चावल
(iii)	अगले, नवीं कक्षा	कक्षा
(iv)	काफी	सड़क, कूड़ा
(v)	सब कुछ	जीवन

2. (i) अनिश्चित– कुछ बहुत कम

(ii) निश्चित– दस पच्चीस एक हजार

3.

(i)	गुलाब	गुलाबी	(v)	भूख	भूखा
(ii)	प्रमाण	प्रमाणित	(vi)	प्यास	प्यासा
(iii)	ईमान	ईमानदार	(vii)	परिवार	परिवारिक
(iv)	संसार	संसारिक	(viii)	घर	घरेलू

उ०(ग) 1.

(i)	चमक	चमकीला	(iv)	स्थान	स्थानीय
(ii)	भय	भयभीत	(v)	प्यास	प्यासा
(iii)	जापान	जापानी	(vi)	रक्त	रक्तहीन
(iv)	योग	योगी	(vii)	इज्जत	इज्जतदार

2.

	मूलावस्था	उत्तरावस्था	उत्तमावस्था
(क)	अधिक	अधिकतर	सबसे अधिक
(ख)	पवित्र	बहुत पवित्र	सबसे पवित्र
(ग)	सफल	बहुत सफल	सबसे सफल
(घ)	सुंदर	अति सुंदर	अत्यंत सुंदर
(ङ)	प्राचीन	अति प्राचीन	अत्यंत प्राचीन

अध्याय 13

अविकारी शब्द (अव्यय)

उ०(क) 1. अविकारी का अर्थ है– जिसमें विकार न हो।

2. अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं।

3. क्रियाविशेषण चार प्रकार के होते हैं।

उ०(ख) 1. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रियाविशेषण कहलाते हैं।

2. जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखकर ध्यानपूर्वक समझिए–

(i) आज धन के बिना कोई नहीं पूछता।

(ii) मेरे घर के आगे एक पेड़ है।

3. दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्द समुच्चयबोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं।

निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए–

(i) भाई और बहिन (शब्द–समुच्चय)

(ii) सेब तथा केले (शब्द–समुच्चय)

(iii) मोहन ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु प्रश्न हल नहीं हुआ। (वाक्यांश-योजक)

(iv) वह चलता रहा, इसलिए समय पर पहुँच गया। (वाक्यांश-योजक)

(v) सूरज निकला और ओस सूखने लगी। (वाक्य-योजक)

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि स्थूल शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर जोड़ रहे हैं।

उ०(ग) 1. जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधबोधक अव्यय कहते हैं।

उदाहरण देखकर ध्यानपूर्वक समझिए–

(i) आज धन के बिना कोई नहीं पूछता।

(ii) उसके साथ मत खेलो।

(iii) मेरे घर के आगे एक पेड़ है।

(iv) गाय पेड़ की ओर देख रही थी।

उपर्युक्त वाक्यों के स्थूल शब्द– के बिना, के साथ, के पास, के आगे, की ओर, से पहले संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। अत: ये संबंधबोधक अव्यय हैं।

संबंधबोधक अव्यय के कार्य

संबंधबोधक अव्यय के निम्नलिखित कार्य होते हैं–

(i) यह किसी वाक्य में संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध उस वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता है; जैसे– संचित दिनभर खेलता रहा। यहाँ 'भर' संबंधबोधक 'दिन' का संबंध 'खेलना' से है।

(ii) संबंधबोधक स्थान, तुलना तथा काल आदि का बोध कराता है; जैसे–

(1) वह रेलवे स्टेशन के निकट रहता है।

(2) गोपाल राम की अपेक्षा बुद्धिमान है।

यहाँ 'के निकट, की अपेक्षा' संबंधबोधक 'काल, स्थान और तुलना' का बोध कराते हैं।

संबंधबोधक अव्यय के भेद

संबंधबोधक अव्यय के दो भेद हैं–

(क) रूप-रचना के आधार पर संबंधबोधक– रूप रचना की दृष्टि से संबंधबोधक दो प्रकार के होते हैं–

(i) रूढ़ (ii) यौगिक।

(i) **रूढ़–** से, ने, को, का, की, के, में, पर आदि।

(ii) **यौगिक–** के लिए, की ओर, के बिना, के पश्चात आदि।

(ख) **अर्थ के आधार पर संबंधबोधक–** अर्थ के आधार पर संबंधबोधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं–

1. **कालवाचक–** आगे, के पीछे, के बाद, के पश्चात्, के उपरांत आदि।
2. **स्थानवाचक–** पर, के आगे, के पीछे, के नीचे, के ऊपर, के पास, के नजदीक, से दूर आदि।
3. **दिशावाचक–** उधर, की ओर, की तरफ, के पार आदि।
4. **उद्देश्यवाचक–** लिए, के हेतु, की खातिर, के निमित्त आदि।
5. **विरोधवाचक–** खिलाफ़, के प्रतिकूल, के विपरीत आदि।
6. **कारणवाचक–** लिए, के कारण, के मारे आदि।
7. **समानतावाचक–** के समान, के बराबर, के तुल्य, की तरह, के सदृश आदि।
8. **साधनवाचक–** सहारे, के जरिए, के द्वारा आदि।
9. **संबंधवाचक (सहचरबोधक)–** संग, के साथ, के समेत आदि।
10. **व्यतिरेकवाचक–** के सिवाय, के अलावा, के बगैर, के बिना, से रहित, के अतिरिक्त, के बजाय आदि।
11. **तुलनावाचक–** की अपेक्षा, के आगे आदि।
12. **संग्रहवाचक–** सहित, भर, पर्यंत आदि।

कुछ संबंधबोधक अव्यय (प्रयोग सहित)–

1. खुशी के मारे वह पागल हो रहा था।
2. भाई-बंधुओं सहित कौरव मारे गए।
3. रमेश का भाई के बिना दिल नहीं लगता।
4. बच्चा रातभर सोता रहा।
5. यात्री मंदिर की ओर जा रहे थे।
6. ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है।

7. आज मैं रोटी की जगह पुलाव ले आया हूँ।

8. यह गोली पानी के साथ खाना।

2. **क्रियाविशेषण और विशेषण में अंतर**

(i) संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रियाविशेषण कहलाते हैं।

उदाहरण–

विशेषण	**क्रिया विशेषण**
• प्रिया सुंदर है।	• प्रिया सुंदर दिखती है।
• वे चार बच्चे हैं।	• चार बच्चे खेल रहे हैं।

(ii) **क्रियाविशेषण और संबंधबोधक में अंतर–**

हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो संबंधबोधक तथा क्रियाविशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है, तब ये संबंधबोधक होते हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, तो क्रियाविशेषण होते हैं।

संबंधबोधक	**क्रियाविशेषण**
(1) कमरे के भीतर आइए।	भीतर आइए।
(2) मैंने दिनेश को ऊपर भेजा है।	दिनेश ऊपर गया है।

उ०(घ) 1. अंदर 2. लिए

3. ऊपर 4. में

5. पास।

अध्याय 14

पदबंध तथा वाक्य

उ०(क) 1. वाक्य के उस भाग को, जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हुए विशेष अर्थ देते हैं, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वाक्यांश या पदबंध कहलाते हैं।

2. वाक्य के छः तत्व हैं।

उ०(ख) 1. सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है।

निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए–

(i) जिस तरह मनुष्य में जीवन है, उसी तरह वृक्षों में भी जीवन होता है।

(ii) जब देश स्वतंत्र हुआ, तब इसकी जनसंख्या छत्तीस करोड़ थी।

उपर्युक्त सभी कथन हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ सार्थक हैं। इनमें पदों का व्यवस्थित क्रम है; अतः ये वाक्य हैं।

2. **संयुक्त वाक्य–** जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चयबोधक द्वारा परस्पर जुड़े हुए हों, वह संयुक्त वाक्य होता है; जैसे–

(1) वह बाज़ार गया और उसने फल खरीदे।

(2) यहाँ पहले खेत था परंतु अब घनी बस्ती है।

यहाँ प्रत्येक वाक्य के स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चयबोधक क्रमशः 'और' तथा 'परंतु' से जुड़े हैं; अतः ये संयुक्त वाक्य हैं।

उ०(ग) 1. **रचना के आधार पर वाक्य-भेद–** रचना की दृष्टि से वाक्यों के निम्नलिखित भेद हैं–

(i) **सरल (साधारण) वाक्य–** जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहा जाता है; जैसे– मोहन बाज़ार जा रहा है।

(ii) **संयुक्त वाक्य–** जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चयबोधक द्वारा परस्पर जुड़े हुए हों, वह संयुक्त वाक्य होता है; जैसे–

(1) वह बाज़ार गया और उसने फल खरीदे।

(2) यहाँ पहले खेत था परंतु अब घनी बस्ती है।

यहाँ प्रत्येक वाक्य के स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चयबोधक क्रमशः 'और' तथा 'परंतु' से जुड़े हैं; अतः ये संयुक्त वाक्य हैं।

मिश्र वाक्य– जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य में उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं; जैसे–

1. प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी।

2. वह कौन-सा क्षेत्र है जहाँ मानव ने अपना कदम नहीं रखा।

2. (क) **प्रधान उपवाक्य–** किसी वाक्य का जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है, दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता बल्कि दूसरे उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं; जैसे–

'मुझे लगा कि कबूतर उड़ जाएगा। यहाँ 'मुझे लगा' प्रधान उपवाक्य है।

(ख) **आश्रित उपवाक्य–** जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित होते हैं, वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। इनका अभिप्राय दूसरे उपवाक्यों की सहायता से ही प्रकट होता है; जैसे– 'मुझे लगा कि कबूतर उड़ जाएगा। यहाँ 'कबूतर उड़ जाएगा' आश्रित उपवाक्य है।

अध्याय 15

मुहावरे और लोकोक्तियाँ

उ०(क) 1. उसे आता-जाता कुछ है नहीं, बस डींगें **हाँकता रहता है।**

2. तुम्हारे नौकर को कुछ भी कहो, उस पर असर नहीं होता। वह तो **चिकना घड़ा है।**

3. वह अखबार भी नहीं पढ़ सकता। उसके लिए तो काला **अक्षर भैंस बराबर है।**

उ०(ख) 1. 'मुहावरा' हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। अरबी भाषा का 'मुहावर:' शब्द हिंदी में 'मुहावरा' हो गया है। इसका अर्थ है 'अभ्यास' या 'बातचीत'। कभी-कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष चमत्कारपूर्ण अर्थ देने लगती है। इस प्रकार ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ को प्रस्तुत करे और शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे 'मुहावरा' कहते हैं।

2. लोकोक्ति (लोक+उक्ति) का सामान्य अर्थ है– लोक में प्रचलित उक्ति। मुहावरों की तरह ही लोकोक्तियाँ भी मानव जाति के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति हैं। लोकोक्ति जन-समाज के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला परंपरागत कथन होता है। ये ऐसी तीखी उक्तियाँ होती हैं, जो श्रोता के हृदय पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती हैं। लोकोक्तियाँ भूतकाल के लोक-अनुभवों का परिणाम होती हैं तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में 'कहावत' भी कहा जाता है।

उ०(ग) 1. **मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर–** मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर निम्न बातों से स्पष्ट है–

(i) मुहावरा वाक्य-खंड होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है।

(ii) मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं; अत: वाक्य का अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं होती,

उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है।

(iii) पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मुहावरे के शब्द वाक्य के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं।

2. **लेखन में मुहावरे और लोकोक्ति की उपयोगिता–** लेखन में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली और आकर्षक बनने का कार्य करते हैं। इनके प्रयोग से लेखक में चार चाँद लग जाते हैं। ये भाषा को अथवा कथन को न केवल प्रभावी एवं आकर्षक बनाते हैं बल्कि रूचिकर बनाकर गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। इनकी सहायता से भाषा को मनमोहक रूप प्रदान किया जा सकता है। मुहावरे तथा लोकोक्तियों की महिमा के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इनके बिना भाषा अप्राकृतिक तथा निर्जीव जान पड़ती है। इसी कारण ये भाषा में विचारों तथा अभिव्यक्ति का अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग बन गये हैं।

अध्याय 16

पत्र-लेखन

उ०(क) 1. पत्र दो हृदयों को जोड़ने वाले सेतु हैं।

2. पत्र चार प्रकार के होते हैं।

3. सामान्यत: पत्र के आठ अंग होते हैं।

उ०(ख) 1. जिन पत्रों में अनुरोध या प्रार्थना की जाती है, उन्हें प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र कहते हैं; जैसे- अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र, शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना-पत्र आदि।

2. सरकार से जुड़े कामकाज संबंधी पत्रों को सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहते हैं। यह एक प्रकार का औपचारिक पत्राचार है, जिसका प्रयोग मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने हेतु किया जाता है।

3. पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें निम्न प्रकार हैं–

- पत्र में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
- तथ्य स्पष्ट होने चाहिए।
- विषय को संक्षिप्त रूप से लिखा जाना चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए।
- पत्र में मौलिकता बनी रहती चाहिए।
- पत्र के प्रत्येक अंग, जैसे- पता, संबोधन, तिथि आदि यथास्थान पर लिखे जाने चाहिए।

उ०(ग) स्वयं करें।